Publication of lives and biographies of national leaders

3885. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state when the lives or biographies of the national leaders likes 1. Raja Mahendra Pratap, President of Provincial Government of the Indian Republic set up in Kabul; 2. Maulvi Barkatullah Prime Minister, of the Provincial Government of the Indian Republic set up in Kabul; 3. Maulana Ubaidullah Sindhi, Defence and Home Minister of the Provincial Government of the Indian Republic set up in Kabul; 4. Maulana Mahmood Hasan, Principal of Dar-ul-uloom Deoband and the leader of the revolutionaries; 5. Baba Gurdet Singh of Kama Gatara fame; 6. Dr. Satya Pal and Dr. Saifuddin Kitchlew, Heroes of Amritsar in 1919; 7. Maulana Hussain Ahmed Madani, President, Jamait Ulema Hind; 8. Ram Prasad Bismil and Ashfaqullah Khan, Heroes of Kakori Conspiracy case will be published by the Publication Division of Ministry of Information and Broadcasting in the Builders of Modern India Series?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): These biographies are not included in the publication programme of the Publications Division at present. Their inclusion will depend on the recommendations of the Advisory Committee constituted by the Government to, *inter-alia*, advise the Publications Division on the themes and topics and the selection of titles and authors for various books and availiability of funds.

Complaints against Shri Nusli Wadia

3886. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received series of complaints against Shri Nusli Wadia, Bombay Dyeing and/or other associate companies regarding their illegal acts involving economic offences of any type during last three years; if so, what are the details thereof and the details of measures taken by the Government;

(b) whether it is a fact that Directorate of Enforcement fined one of Sh. Nusli Wadia's company for violations of economic regulations; if so, what are the details thereof;

(c) whether it is a fact that Shri Nusli Wadia's company has gone in appeal without paying the dues to the Government in this regard; if so, what are the details thereof; and

(d) what are the norms with regard to admission of appeals when the concerned party is declared guilty at lower level and fined and files an appeal without the payment of fines?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) Yes, Sir. The complaints are being looked into. It is not considered expedient to disclose further details at this stage.

(b) to (d) The Directorate of Enforcement imposed a total penalty of Rs. 1,14,24,000/- on M/s. Bombay Dyeing and its directors/executives for violating the various provisions of the FERA, 73. They have preferred appeals against the adjudication of depositing the penalty under Sec. 52 of FERA, 73 to the FERA Board The appeals are pending before the Board for its decision. The Appellate Board may, in its own discretion, dispense with such deposit of penalty, if it is of the opinions that the deposit to be made will cause undue hardship to the appellant.

बिहार में करों की चोरी

3887. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्तमान तथा भतपूर्व संसद सदस्यों ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 1985 तथा 19 अगस्त, 1986 के पत्रों के द्वारा बिहार के कुछ

प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जांच कराए जाने की मांग की थी; यदि हां, तो उन आरोपों की जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय राजस्व तथा बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग के कुछ अधिकारियों ने उन प्रतिष्ठानों के साथ सांठ-गांठ करके उनके द्वारा करों की चोरी में सहायता की है ; यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा की गई जांच-पड़ताल के तथ्यों के आधार पर भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते हैं ।

ईंट निर्माताओं द्वारा करों की चोरी

3888. **श्री अशोक नाथ वर्मा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्तमान तथा भतपूर्व संसद सदस्यों ने 21 मार्च, 1986 तथा 19 अगस्त, 1986 को पत्र लिखकर बिहार में ईंट निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय राजस्व और बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके करोड़ों रुपये के करों को चोरी किये जाने के संबंध में जांच कराये जाने की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध मदवार तथा जिलावार, कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) राजस्व विभाग को केवल एक भूतपूर्व संसद सदस्य से दो पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) पत्रों में, ईंट निर्माताओं द्वारा तथाकथित कर अपवंचन का उल्लेख बहुत ही सामान्य और अपूर्ण तरीके से किया गया था । राज्य सरकार के सम्बंधित प्राधिकारियों से जांच-पड़ताल करने के बाद यह पाया गया कि एक ईंट निर्माता की आय निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव ठीक नहीं था । जब कभी संवीक्षा के पश्चात ईंट निर्माताओं के कर-निर्धारण पूरे किये जाते हैं तो अन्य विभागों के संबंधित आंकड़ों को भी ध्यान में रखा जाता है । इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए, विभिन्न व्यक्यिों की ओर बकाया प्रत्यक्ष करों की राशि की जानकारी देना कठिन होगा । तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में अपेक्षित सूचना चाहते हों, तो वह उपलब्ध कराई जा सकती है ।

किसानों को अनुदान तथा ऋण

3889. **श्री अशोक नाथ वर्मा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उपकरणों की खरीद के लिए लघु तथा सीमांत किसानों को अनुदान और ऋण दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न बैंकों तथा सहकारी सोसाइटियों द्वारा अलग-अलग कितनी धनराशि के अनुदान तथा ऋण दिए गए ; और

(ग) ऐसे राज्यों तथा बैंकों/सहकारी सोसाइटियों के नाम क्या-क्या हैं और इन सुविधाओं से कितने किसानों को लाभ प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंक और सहकारी ऋण समितियां कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के वास्ते